(2)

(21)

Before – Board of Revenue Madhya Pradesh
Rewa Seat

_____/2017

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs-30/-

R 5102-II/17

Petitioner- Ashok Kumar Pandey S/o Late Vishnu Sundar Pandey R/o Village/Tehsil-Unchehra, Distt.-Satna (M.P.)

Versus.

Respondent- State of Madhya Pradesh.

अधिवक्ता विनय कुमार द्वारा पेश/ 10-3-17

कलर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

Revision against the order dated 16-01-2017 passed by Ad.Com. Rewa in C.No. 445Appeal/16-17. U/s 50 of MPLRC 1959

Hon'ble,

Petitioner begs to State as hereunder :-

Brief-Facts

1- That Tehsildar Unchehra initiated C.No. 31A-68/13-14 U/s 248 of the MPLRC, against the petitioner, issuing totally illegal and defective notice without mentioning period of previous possession/encroachment therein, in which petitioner objected Interalia stating his 60 yrs back continuous possession and ouster of jurisdiction etc. and became ill during the case, giving rise ex parte final order dated 28-10-2014 imposing hardest fine coupled with eviction. Copy of the notice is being filed here as **Annexure-1**, Reply- **Annexure-2** and order dated 28-10-2014 as **Annexure-3** to this petition.

2- That petitioner's first appeal was dismissed mechanically while deciding uncontroverted application U/s 5 of limitation Act,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5102–दो/2017 निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11/10/18	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया। उन्होंने प्रारंभिक तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी, उचेहरा जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 98/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-11-16 के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील क्रमांक 445/16-17 प्रस्तुत की थी, किन्तु अपर आयुक्त ने प्रकरण की स्थिति को समझे बिना ग्राह्यता के स्तर पर आदेश दिनांक 16-1-17 पारित करके अपील निरस्त करने में भूल की है इसलिये अपर आयुक्त एंव अनुविभागीय अधिकारी, उचेहरा के आदेश निरस्त किये जावे। 2/ अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 16-1-17 एंव अनुविभागीय अधिकारी, उचेहरा जिला सतना के आदेश दिनांक 18-11-16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 18-11-16 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :- **'' अपीलांट/अनावेदक ने अतिक्रमण प्रकरण की अहमियत को नगण्य मानकर पैरबी करना उचित नहीं समझा है। तद्नुसार प्रकरण में दिनांक 28-10-14 को अंतिम आदेश पारित किया गया है। अनावेदक/ अपीलांट के विरूद्व जब अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई तब इन्होंने 01 वर्ष 5 माह वाद आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। नकल दिनांक 29-3-16 को प्राप्त कर इसी दिनांक में अपील दायर की गई। परिलक्षित होता है कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण न हटाने एंव अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को टालने की मंशा से अंतराल वाद अपील प्रस्तुत की गई है।''**	

उक्तानुसार निष्कर्ष निकाल कर अपील समयवाहय होने से धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन स्वीकार नहीं किया गया है।

अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 16–1–17 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त ने इस आदेश में इस प्रकार का निष्कर्ष अंकित किया है :–

'' अपीलांट/अनावेदक ने 1 वर्ष 5 माह वाद आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। नकल दिनांक 29–3–16 को प्राप्त कर इसी दिनांक में अपील दायर की गई। परिलक्षित होता है कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण न हटाने एंव अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को टालने की मंशा से अंतराल वाद अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब के दिन प्रतिदिन का कारण स्पष्ट नहीं किये जाने के कारण धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं हो सकता है।

अपीलार्थी विचारण न्यायालय में पक्षकार रहा है। उसे प्रकरण की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित एंव विधिपूर्ण पाया जाता है। प्रस्तुत अपील में ग्राह्यता के पर्याप्त आधार न होने के कारण ग्राह्यता के बिन्दु पर अपील खारिज की जाती है।''

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18–11–16 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 16–1–17 में निकाले गये निष्कर्षो से स्पष्ट है कि आवेदक ने तहसील न्यायालय में उपस्थित रहते हुये जानबूझकर अनुपस्थिति दर्ज कराई है एंव शासकीय भूमि का अतिक्रामक होने के कारण तहसील न्यायालय में समय रहते उसके विपरीत कार्यवाही न होने पावे, वह जानबूझकर पैरबी से अनुपस्थित हुआ है जिसके कारण आवेदक को किसी प्रकार के अनुतोष दिये जाने की पात्रता न होने से निगरानी अमान्य की जाती है।

सदस्य